20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

1रु. कोर्ट फी Re.1 COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

1रु. कोर्ट फी Re.1 COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

99

न्यायालय राजस्व बोर्ड म0प्र0 ग्वालियर (म0प्र0)

प्र0क0– /18 III/निगरानी/भिण्ड/भू.रा/2018/1369

श्री राज.पी. भटनागर, अभि. द्वारा आज दि. 23/2/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 7/3/18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

Filed by
R.P. Bhatnagar Adv
23/2/18

नरेन्द्रसिंह कुशवाह पुत्र प्रतापसिंह कुशवाह आयु 65 बर्ष जाति ठाकुर धन्धा खेती निबासी ग्राम सिकरौदा तेहसील गोरमी जिला भिण्ड म0प्र0———————— **निगरानी कर्ता**

बनाम

रजोले उर्फ राजाराम पुत्र पहलवान जाति धानुक आयु 78 बर्ष धन्धा खेती निबासी ग्राम सिकरौदा तेहसील गोरमी जिला भिण्ड म0प्र0——————**नॉन निगरानी कर्ता**

निगरानी बिरूद्ध न्यायालय अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 15/17–18 निगरानी माल में पारित आदेश दिनांक 20–11–17 से दुखित होकर, म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत

श्रीमान जी,

सेवा में निगरानी कर्ता की निगरानी निम्न तथ्यों व आधारों पर प्रस्तुत है :–

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

'अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ'

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो/निगरानी/भिण्ड/भूरा/2018/1369

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
16-4-18	आवेदक के अधिवक्ता श्री एम0 पी0 भटनागर द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्र0 क0 15/निगरानी/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 20.11.2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। 2- आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी 3 माह के विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा-5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सके, समयावधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह्य की जाती है। सदस्य	